

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 619]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2020 — अग्रहायण 14, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 5 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-31/2011/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 2001 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त विनियम में,-

- (1) विनियम 3 के शीर्षक “सदस्यों की संख्या” के स्थान पर, शीर्षक “अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या तथा नियुक्ति का तरीका” प्रतिस्थापित किया जाये; तथा
- (2) विनियम 3 के उप विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
 - “(1) आयोग में एक अध्यक्ष एवं चार से अनधिक सदस्य होंगे. अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत माननीय राज्यपाल द्वारा की जाएगी.”
- (3) विनियम 8 के उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
 - “(3) उप-विनियम (1) के अधीन आने वाले किसी सदस्य को, ऐसे सदस्य के रूप में उसके पद पर नहीं रहने पर, आयोग में की गई सेवा के लिये, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये, अध्यक्ष के मामले में रुपये सत्ताईस हजार नौ सौ नब्बे तथा सदस्य के मामले में रुपये पच्चीस हजार चार सौ बीस प्रतिवर्ष पेंशन इस शर्त के अधीन रहते हुए दी जाएगी कि सरकारी सेवा के लिये देय पेंशन और आयोग में सेवा के लिये देय पेंशन की राशि अध्यक्ष के मामले में रुपये तेरह लाख पचास हजार तथा सदस्य के मामले में रुपये तेरह लाख चवालीस हजार छः सौ प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी. इस पेंशन का भुगतान, आयोग के ऐसे शासकीय सदस्यों को नहीं किया जायेगा, जो उप-विनियम (2) के अधीन आयोग में की गई अपनी सेवा को सरकारी पेंशन के लिए संगणित करने का विकल्प देते हैं.”

- (4) विनियम 9 के उप-विनियम (4) के खण्ड (एक) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह “उप-विनियम (1) के अधीन आने वाले किसी सदस्य को, ऐसे सदस्य के रूप में उसके पद पर नहीं रहने पर, आयोग में की गई सेवा के लिये, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये, अध्यक्ष के मामले में रुपये पच्चीस हजार आठ सौ पचास तथा सदस्य के मामले में रुपये तेईस हजार एक सौ सत्ताईस प्रतिवर्ष देय होगी.” के स्थान पर शब्द, अंक एवं चिन्ह “उप-विनियम (1) के अधीन आने वाले किसी सदस्य को, ऐसे सदस्य के रूप में उसके पद पर नहीं रहने पर, आयोग में की गई सेवा के लिये, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये, अध्यक्ष के मामले में रुपये छैसठ हजार चार सौ चालीस तथा सदस्य के मामले में रुपये उनसठ हजार चार सौ चालीस प्रतिवर्ष देय होगी.” प्रतिस्थापित किया जाये.
- (5) विनियम 3 में उपरोक्तानुसार किया गया संशोधन प्रकाशन दिनांक से तथा विनियम 8 एवं 9 में उपरोक्तानुसार किया गया संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.